न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 132/14 (वाद)

1. श्री झमकलाल पिता स्वर्गीय रोडा डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली।

1/1 श्री राजु पिता झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

1/2 प्रेमी पुत्री झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

1/3 श्री योगेश पिता झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

1/4 श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

2. श्री लालुराम पिता रोडा डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।
3. श्री दल्ला पिता रामा डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री नारायणलाल पिता स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री गंगाराम पिता स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री रतन पिता स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती डालीबाई पत्नी स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री नितेश पिता स्वर्गीय खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया ना.बा.ब.वि. माता गमेरीबाई पत्नी खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
6. मीना पिता स्वर्गीय खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया ना.बा.ब.वि. माता गमेरीबाई पत्नी खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
7. श्रीमती गमेरी बेवा खेमराज निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
8. श्री लालुराम पिता स्वर्गीय परथा डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
9. श्रीमती मोवनीबाई पिता स्व. परथा डांगी पत्नी लोगर डांगी निवासी दरोली पारिया, तहसील वल्लभनगर।
10. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. परथा डांगी पत्नी शंकर डांगी निवासी भैसडाकलां, तहसील गिर्वा।
11. श्रीमती गंगाबाई पत्नी परथा डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
12. श्री मोहन पिता डालु डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
13. श्री भगा पिता स्व डालु डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
14. श्री गुमाना पिता स्व डालु डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
15. श्रीमती मोहनदेवी पत्नी अम्बालाल टांक निवासी 481, फतह बालाजी के पास, देवाली उदयपुर।
16. श्री किशनलाल पिता पेमा डांगी निवासी डंगरियो की तलाई, ओडवाडिया, तहसील मावली।
17. श्री प्रकाश पिता पेमा डांगी निवासी डंगरियो की तलाई, ओडवाडिया, तहसील मावली।
18. श्रीमती चन्द्रीबाई बेवा पेमा डांगी निवासी डंगरियो की तलाई, ओडवाडिया, तहसील मावली।

19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
20. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तहसील मावली।
21. उप पंजीयक मावली, तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 15.01.2019

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओडवाडिया, पटवार हल्का गुडली की आराजी संख्या 1012 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के नाम 12549/304049 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के नाम 4/5 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 से 14 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 के नाम 7721/304049 हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से दर्ज है।
2. वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नाम पर संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है परन्तु गत 43 वर्षों से हम वादीगण एवं हमारे पूर्वजों उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त करते आ रहे है क्योंकि आराजी नम्बर 1012 जो प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मौरूस केवला के नाम पर दर्ज थी एवं इसी के सटमा हम वादीगण संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा के खातेदारी की आराजी नम्बर 1011 थी तथा केवला के खातेदारी की आराजी नम्बर 1014 के सटमा हम वादीगण संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा के खातेदारी की आराजी नम्बर 1013 थी। इसी कारण इन्होने आराजी नम्बर 1012 का कब्जा वादी संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पति/पिता पेमा को सिपुर्द कर दिया और इसके बदले में हम वादीगण संख्या 1,2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा ने अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 1013 जो केवला जी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1014 के सटमा थी का कब्जा केवला जी को सिपुर्द कर दिया अर्थात् उक्त आराजीयात् का एक ही चक बनाने के कारण दोनों आराजीयात का केवला एवं हम वादीगण संख्या 1, 2 के पिता रोडा वादी संख्या 3 दल्ला व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा के मध्य अदला बदली हुई थी ताकि जमीन एक चक बन जाये और जमीन को अच्छी तरह से आवादान कर सकें। आराजी संख्या 1013 जो हम वादीगण संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा के खातेदारी में दर्ज थी उसकी रजिस्ट्री केला जी के कहे अनुसार श्री रामसिंह पिता सवाई सिंह राजपुत निवासी डाबला के पक्ष में वर्ष 1971 में करवा दी और इस आराजी के विक्रय का सम्पूर्ण

प्रतिफल केवला जी जो प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मौरूस थे उन्होनें श्री रामसिंह पिता सवाईसिंह राजपुत से प्राप्त किया था।

3. आराजी नम्बर 1013 की केवला जी के कहे अनुसार रामसिंह जी के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने के समय वाद में वर्णित आराजी जो हम वादी संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला व प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा को बदले में कब्जा दिया था उसे नाम पर कराने का श्री केवलाजी को कहा तो उन्होने विश्वास भी दिलाया था कि जब भी कहोगें ये जमीन नाम पर करा दुंगा और हम वादीगण के पूर्वजों ने भी इन पर विश्वास कर लिया। क्योंकि ये सभी आपस में सगे भाई बन्ध थे और विश्वास कर लेने की वजह से इनसे इसकी कोई लिखापढी नही कराई। लेकिन गत 43 वर्षों से इस भूमि पर हम वादीगण के पूर्वज उनके जीवनकाल में काश्त करते थे और उनके निधनोपरान्त हम वादीगण इस भूमि पर काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 का कोई हक अधिकार कब्जा नही रहा है। इसलिये उक्त वर्णित कृषि भूमि पर हम वादीगण का एवं हमारे पूर्वजों का गत 43 वर्षों से अधिक समय से प्रतिकुल कब्जा चला आ रहा है। जिसके आधार पर धारा 63 (1), (4) राजस्थान काश्तकारी के तहत हम वादीगण खातेदार काश्तकार बन चुके है अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है।

4. चूंकि हम वादीगण के मौरूस हम प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मौरूस आपस में सगे भाई बन्ध थे तथा जो भूमि हम वादीगण संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला, प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पति/पिता पेमा ने प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मौरूस केवला जी को दी थी। उसकी तो उसके कहे अनुसार रजिस्ट्री करवा दी लेकिन हम वादीगण संख्या 1, 2 के पिता रोडा, वादी संख्या 3 दल्ला, प्रतिवादी संख्या 16 से 18 के पिता/पति पेमा को इनके द्वारा दिलाये गये विश्वास में रह जाने से जमीन अपने नाम पर नही करवा सकें और इस दरम्यान केवला जी का निधन हो गया और जमीन उनके वारिसान कना, परथा, डालु के नाम दर्ज हो गई और कना, परथा, डालु का स्वर्गवास भी हो गया। वर्तमान में उनके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के नाम विरासत से दर्ज हो गई एवं प्रतिवादी संख्या 7 ने नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से अपना दर्ज हिस्सा भूमि में से 7721/304049 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 को नुमाईशी तौर पर व्रिकय कर दिया जबकि ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नही है क्योंकि मौके पर गत 43 वर्षों से उक्त भूमि हम वादीगण एवं हमारे पूर्वजों के कब्जे अधिकार में चली आ रही है और हमारे द्वारा ही इसका उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। इस भूमि को उपजाउ बनाने में लाखों रूपया खर्च किया है। प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में किया गया विक्रय हमारे मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है।

5. वादीगण का प्राइमाफेसी कैस है वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण व हमारे पूर्वज गत 43 वर्षों से काबिज हो काश्त कर रहे है। जमीनों के भाव बढने से भूमाफिया सक्रिय है। मौके व कब्जे की जांच किये बिना बेनामी सौदे कर लेते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 अपने नाम अंकन होने का फायदा उठा कर भूमि अन्य को विक्रय करने की धमकिया दे रहे है जबकि इन्हे पता है यह जमीन अदला बदली में हम वादीगण के पिता रोडा, दला को प्राप्त हुई थी इसलिये हम प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है की प्रतिवादीगण हमे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें अन्य को विक्रय हस्तांतरण नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को भारी क्षति होगी।

6. वादीगण को वाद कारण दिनांक 20.05.14 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 15 ने हम वादीगण को हमारे कब्जे काश्त की भूमि से हमे बेदखल कर भूमि विक्रय करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
7. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वर्णित आराजीयात् में वादी संख्या 1 से 2 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे बेदखल नही करे कब्जा नही करे। उक्त कार्य न स्वयं करे व न अपने नौकर चाकर एवं एजेन्ट से करवाये।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3, 8, 11, 12 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपने वाद कलम नम्बर 3 में यह लिखा है कि प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी नम्बर 1012 व वादीगण ने अपनी आराजी नम्बर 1013 की आपस में अदला बदली की थी। अदला बदली का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत है और उसके अनुसार ही अदला बदली होती है तो ही उसकी कानूनी मान्यता है बाकी कोई मान्यता नही है। वादीगण ने यह अदला बदली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नही की है। इसलिये कानून की दृष्टि से वह अदला बदली नही मानी जा सकती है तो वादीगण को यह वाद लाने का कोई अधिकार नही है और इसी आधार पर यह वाद बार्ड बाय लॉ है तथा हम प्रतिवादी के विरूद्ध वादीगण को कोई काज ऑफ एक्शन पैदा नही होता है इसलिये यह वाद रिजेक्ट होने योग्य है अतः प्रार्थना है कि इसी आधार पर वादी का वाद रिजेक्ट फरमाया जावे व खर्चा दिलवाया जावें।
9. प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर भी अदला बदली अनुसार वर्षो से इसी अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज के मध्य उक्त अदला बदली हुई थी। और अदला बदली अनुसार तत्समय एक दुसरे को कब्जा भी ट्रांसफर किया है किन्तु उस समय हमारे पूर्वज जो ग्रामीण परिवेश में निवास करते थे जो अनपढ थे जिनको कानून की जानकारी नही होने से इस कार्य को विधिक प्रक्रिया अनुसार पूरा कर अदला बदली का पंजीयन नही हो सका परन्तु हमारे पूर्वजो ने उनके जीवनकाल में कभी भी इस अदला बदली बाबत कोई आपत्ति एतराज नही किया था। लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई है जो अपने पूर्वजो द्वारा की गई अदला बदली से मुकर रहे है और वर्तमान में हमारे हिस्से कब्जे की जमीन प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज होने से प्रतिवादीगण हमसे इस भूमि को बलपूर्वक हथियाने की कौशिश कर रहे है। वादीगण आज भी इस भूमि पर काबिज है और इस भूमि को काश्त योग्य बनाने में भी काफी खर्चा कर चुके है वादीगण इस भूमि के स्वामी है जिन्हे उक्त वाद प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्ण रूपेण विधि अनुरूप होकर चलने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत नही कर मात्र प्रकरण की कार्यवाही को लम्बा कर प्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो भारी हर्जा खर्चा सहित खारीज फरमाया जावें।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावना पूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा वाद खातेदारी घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद में यह निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1013 एवं आराजी नम्बर 1012 जो वादी व प्रतिवादीगण के मौरूस द्वारा पूर्व में अदला बदली कर कब्जा सिपूर्द किया जाना बताया हैं। आराजी नम्बर 1013 की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण के नाम करने का कथन किया हैं लेकिन आराजी नम्बर 1012 की रजिस्ट्री वादीगण के पक्ष में नहीं कराने से खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया हैं। उक्त अदला बदली की वादी द्वारा कोई लिखित लिखापढी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन मात्र कथन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। वादी द्वारा लम्बे समय से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही हैं। वादी द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गई हैं। इसी प्रकार प्रतिकूल/पुरानें कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। सिर्फ धारा 63 (1)(4) राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही हैं। आर.आर.टी. 2011 पेज 721 के वृहत्त पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2017 पेज 352 अनुसार इस

प्रकार के प्रावधान नहीं होना माना हैं। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जें के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री झमकलाल पिता स्वर्गीय रोडा डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली।

1/1 श्री राजु पिता झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

1/2 प्रेमी पुत्री झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

1/3 श्री योगेश पिता झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

1/4 श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी झमकलाल डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

2. श्री लालुराम पिता रोडा डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।
3. श्री दल्ला पिता रामा डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई) तहसील मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री नारायणलाल पिता स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री गंगाराम पिता स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री रतन पिता स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती डालीबाई पत्नी स्वर्गीय कना डांगी निवासी ओडवाडिया (डंगरिया तलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री नितेश पिता स्वर्गीय खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया ना.बा.ब.वि. माता गमेरीबाई पत्नी खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
6. मीना पिता स्वर्गीय खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया ना.बा.ब.वि. माता गमेरीबाई पत्नी खेमराज डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
7. श्रीमती गमेरी बेवा खेमराज निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
8. श्री लालुराम पिता स्वर्गीय परथा डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
9. श्रीमती मोवनीबाई पिता स्व. परथा डांगी पत्नी लोगर डांगी निवासी दरोली पारिया, तहसील वल्लभनगर।
10. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. परथा डांगी पत्नी शंकर डांगी निवासी भैसडाकलां, तहसील गिर्वा।
11. श्रीमती गंगाबाई पत्नी परथा डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
12. श्री मोहन पिता डालु डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
13. श्री भगा पिता स्व डालु डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
14. श्री गुमाना पिता स्व डालु डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली।
15. श्रीमती मोहनदेवी पत्नी अम्बालाल टांक निवासी 481, फतह बालाजी के पास, देवाली उदयपुर।

16. श्री किशनलाल पिता पेमा डांगी निवासी डंगरियो की तलाई, ओडवाडिया, तहसील मावली।
17. श्री प्रकाश पिता पेमा डांगी निवासी डंगरियो की तलाई, ओडवाडिया, तहसील मावली।
18. श्रीमती चन्द्रीबाई बेवा पेमा डांगी निवासी डंगरियो की तलाई, ओडवाडिया, तहसील मावली।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
20. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तहसील मावली।
21. उप पंजीयक मावली, तहसील मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 132/14 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.01.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली